राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्याः—1692, 1693, 1694, 1695, 1696 व 1697/2014/जयपुर.....
मैसर्स श्याम गैसेज, जयपुर बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, जोन—द्वितीय, जयपुर।

1700, 1701, 1702 व 1703/2014.....जिला.....जयपुर.....
मैसर्स विल्सन कॉयो गैसेज, जयपुर बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, जोन—द्वितीय, जयपुर।

1709, 1710, 1711 व 1712/2014.....जिला.....जयपुर.....
मैसर्स विल्सन गैसेज, जयपुर बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, जोन—द्वितीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.10.2014	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारियों की ओर से उक्त अपीलें अपीलीय प्राधिकारी—तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्—पृथक् अपीलीय आदेश दिनांक 09.09.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं तथा जिनमे वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, जोन—द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 25, 26, 61 के तहत् तालिकानुसार निर्धारण वर्षों **के लिये पृथक्—पृथक् पारित निर्धारण आदेशों** के जरिये कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान तालिकानुसार अंकित राशियों की वसूली पर रोक लगाई जाने की प्रार्थना की गई। **तालिका** अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अभिभाषक श्री पंकज घीया एवं विभाग की ओर से उप—राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह बहस हेतु दिनांक 29.09.2014 को उपस्थित हुये।	

अपील संख्या	निर्धारण वर्ष	निर्धारण आदेश दिनांक	राशि जिस पर स्थगन चाहा गया है
1692/14	2009—10	16.07.2014	120018/—
1693/14	2010—11	16.07.2014	171580/—
1694/14	2011—12	16.07.2014	143536/—
1695/14	2012—13	16.07.2014	113184/—
1696/14	2013—14	16.07.2014	89798/—
1697/14	2014—15	16.07.2014	5726/—
1700/14	2011—12	15.07.2014	1442548/—
1701/14	2012—13	15.07.2014	1123858/—
1702/14	2013—14	15.07.2014	1037284/—
1703/14	2014—15	15.07.2014	87056/—
1709/14	2011—12	15.07.2014	73684/—
1710/14	2012—13	15.07.2014	84274/—
1711/14	2013—14	15.07.2014	125970/—
1712/14	2014—15	15.07.2014	9360/—

लगातार.....2

01.10.2014

1692,1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1700, 1701, 1702, 1703, 1709, 1710, 1711, 1712/2014/जयपुर

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करने के संबंध में किसी भी प्रकार के कारणों का उल्लेख नहीं किया है जो अस्पष्ट आदेश (Non-speaking order) की श्रेणी में आता है। गुणावगुण पर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारियों के प्रकरण **अधिनियम की अनुसूची IV से शासित है एवम्** अधिनियम की अनुसूची–V के अनुसार करारोपण किया जाना विधिसम्मत नहीं है। विद्वान अभिभाषक द्वारा अग्रिम कथन किया गया कि जहां तक अनुसूचियों के इन्द्राजों में अंकित शब्दावली को लेकर कोई विवाद कर दर के संबंध में हो अथवा यदि कोई मतभिन्नता हो, तो ऐसी स्थिति में, माननीय न्यायालयों का निरंतर यह मत रहा है कि ऐसे इन्द्राजों का निर्वचन करदायी के हित में किया जाना विधिसम्मत है । वैकल्पिक रूप से तर्क दिया कि कर कानूनों में जो कुछ लिखा गया है उसके अतिरिक्त पढ़ा जाना अनुज्ञेय नहीं है। अधिनियम की अनुसूची–V के इन्द्राज कम संख्या–1 की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि इसमें वस्तुयें, जो किसी भी अनुसूची से आच्छादित नहीं है, उन पर कर की दर 14 प्रतिशत है, जबकि अपीलार्थी व्यवहारियों के प्रकरणों में उपुर्यक्त वर्णित विवेचन व इन्द्राजों के अनुसार, अधिनियम की धारा 4 के आलोक में, 5 प्रतिशत की दर से ही कर दायित्व है। अतः प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट कर, **तालिकानुसार** बकाया मांग राशियों पर रोक लगाने का निवेदन किया गया अन्यथा अपीलार्थी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क दिया गया।

प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर प्रकरण व सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होने का कथन कर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रोक आवदेन पत्रों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। निर्धारण व अपीलीय अधिकारी के आदेशों के अवलोकन एवम् पक्षकारों की बहस सुनने के पश्चात्, गुणावगुण को प्रभावित किये बिना यह पीठ इस इस नतीजे पर पहुँची हैं कि **प्रकरण में वस्तु का वर्गीकरण तद्नुसार कर देयता का महत्वपूर्ण व विधिक बिन्दु** अन्तवर्लित है। अतः गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र स्वीकार किये जाकर, अपीलार्थी व्यवहारियों द्वारा तालिकानुसार चाही गयी राशियों की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा तीन माह तक, जो भी पहले हो, के लिये रोक लगायी जाती है । उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जायेगा । इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति की तिथि से आगामी तीन माह में प्रस्तुत अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें ।

आदेश प्रसारित किया गया।

01.10.2014
(मनोहर पुरी)
सदस्य

1-10-14
(मदन लाल)
सदस्य